—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 19/2023

उनवान

. करणी सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवास ग्राम राजगढ, नसीराबाद, हाल निवासी 739 श्री फोर्ट ग्लीतव सिनेमा के पास बी.के. कोल नगर, अजमेर।

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र लाला
2. मदनलाल पुत्र लाला
3. मदनलाल पुत्र लाला **(तर्क)** समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद, अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 व 2 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 21.11.25

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, महोदय के न्यायालय से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण में तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य लेकर विस्तृत रूप से उक्त प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राजगढ में वादी की कयशुदा खातेदारी काश्तकारी स्थित है। चौसाला खसरा नम्बर 501, 502 व 503 रकबा क्रमशः 00—03—00, 00—10—10 व 00—08—00, वर्किंग खसरा नम्बर 483, 484 व 485 के हाल खसरा नम्बर 912 व 913 वादी की खातेदारी के है तथा चौसाला खसरा नम्बर 500 के वर्किंग खसरा नम्बर 482 के हाल खसरा नम्बर 911 प्रतिवादीगण की भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज है। वादी की खातेदारी आराजी चौसाला राजस्व मानचित्र में सही दर्शित थी। किन्तु वादी की खातेदारी आराजी को वर्किंग राजस्व मानचित्र 1970 से 71 व हाल राजस्व मानचित्र में परिवर्तित करते हुये बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी चौसाला खसरा नम्बर 500 के वर्किंग खसरा नम्बर 482 के हाल खसरा नम्बर 911 रकबा 0.02 का रकबा बडा करते हुये वादी की खातेदारी हाल खसरा नम्बर 912 की पश्चिमी दिशा की लाईन को हाल खसरा नम्बर 908 के दक्षिण दिशा की तरफ लाईन हटाते हुये उत्तर से दक्षिण के रूप में खेत आधा करते हुये रकबा कम कर दिया है। व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी खसरा नम्बर 911 में मर्ज करते हुये खेत को बडा कर दिया है। वादी की खातेदारी आराजी को पूर्व चौसाला मानचित्र अनुसार वर्तमान मानचित्र में दुरूस्त कर वादी की खातेदारी भूमि का रकबा पूरा किया जावे। इस आशय की खातेदारी उद्घोषणा बहक वादी पारित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद रिमाण्ड प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 नाऔलाद व अविवाहित फौत होने के कारण उसका नाम तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या 1

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

व 2 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रकरण में जवब पेश नही किया गया। दिनांक 7.11.25 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व उपके अधिवक्ता उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने के तथ्य वादी स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी राजस्व मानचित्र दुरूस्ती का अधिकारी है ?

–– वादी

2. अनुतोष ?

प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद अधिवक्ता वादी द्वारा नवीन साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही करना जाहिर किया। पूव में वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये गये। राज. पैरोकार ने भी साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

तनकी संख्या 1 :–

चौसाला खसरा नम्बर 501, 502 व 503 रकबा क्रमशः 00–03–00, 00–10–10 व 00–08–00, वंर्किग खसरा नम्बर 483, 484 व 485 के हाल खसरा नम्बर 912 व 913 वादी की खातेदारी के है तथा चौसाला खसरा नम्बर 500 के वंर्किग खसरा नम्बर 482 के हाल खसरा नम्बर 911 प्रतिवादीगण की भूमि है। वाद पत्र के अनुसार प्रतिवादीगण की आराजी चौसाला खसरा नमबर 500 तत्कालीन राजस्व मानचित्र में सही अंकित था। उत आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 482 व हाल खसरा नम्बर 911 की स्थित राजस्व मानचित्र में परिवर्तित करते हुये वादी के खसरा नम्बर का रकबा प्रतिवादी के खसरा नम्बर 911 में मिला दिया है। वादी की खातेदारी भूमि का रकबा मानचित्र में कम कर दिया है।माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशें के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब व साक्ष्य पेश नही की है तथा प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से वादी व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि का रकबा अधिकार अभलेख मे कम नही होगा। वादी द्वारा प्रस्तुत आराजी मुतनाजा के चौसाला, वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र के अनुसार भी वाद के कथनों की ताईद होती है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। भू राजस्व अधिनियम 1956की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आदिनांक व सही रखने, पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने का कर्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 911, 912 व 913 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व चौसाला मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

करणी सिंह बनाम बंशीलाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 131 भू रा. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 24/2020 (रिमाण्ड)
दर्ज करने की दिनांक – 12.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावतमुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 911, 912 व 913 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व चौसाला मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 11 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद